UPST010034542025

न्यायालय–अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्या. संख्या–03 जनपद सुलतानपुर।

उपस्थितः राम प्रताप सिंह राणा, उच्चतर न्यायिक सेवा।

(जे.ओ. कोड– यू.पी. 6279)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-155 सन् 2025

श्री प्रकाश पुत्र स्व० जगतनरायन पाण्डेय,
निवासी मकान नं. 1515 बघराजपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर।

–––––––– **पुनरीक्षणकर्ता।**

–प्रति–

1. उ.प्र. राज्य द्वारा जिलाधिकारी, जनपद सुलतानपुर।
2. डॉ. वी.के. शुक्ला, यशलोक नर्सिंग होम हिडवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर।

––––––––––**प्रत्यर्थीगण।**

-निर्णय-

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में द.प्र.सं.) के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता श्रीप्रकाश की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं. 16, सुलतानपुर द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. श्री प्रकाश पाण्डेय–प्रति–डॉ. वी.के. शुक्ला सम्बन्धित थाना कोतवाली नगर, सुलतानपुर में पारित आदेश दिनांकित 09.05.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित किया गया है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं. 16, सुलतानपुर द्वारा प्रश्नगत आदेश से प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता श्रीप्रकाश पाण्डेय का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. निरस्त किये जाने का आदेश किया गया।

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण सत्र न्यायालय में अंगीकृत एवं पंजीकृत होकर जनपद सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश से अन्तरित होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. प्रत्यर्थी सं. 2 डॉ. वी.के. शुक्ला की ओर से पत्रावली पर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। किन्तु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी और नहीं उसके अधिवक्ता सुनवायी में उपस्थित हुये।

4. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। निर्णय हेतु पुनरीक्षण पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

5. संक्षेप में पुनरीक्षण के तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता श्री प्रकाश को बुखार था और उसे दिनांक 26.03.2020 को समय 11 बजे दिन में डा. वी.के. शुक्ला यशलोक नर्सिंग होम डिहवा सुलतानपुर में दिखाया और उनके द्वारा कहा गया कि आपका बुखार दो–तीन दिन में ठीक कर देंगें। डा. वी.के. शुक्ला अर्थात प्रतिपक्षी संख्या 2 की सलाह पर उनके द्वारा लिखी गयी दवा तथा उनके द्वारा सभी प्रकार की जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को जो दवाइयां लिखी गयी थी, उससे

पुनरीक्षणकर्ता का बुखार ठीक नहीं हुआ और उनके द्वारा लिखी गयी दवाइयों को खाने से पुनरीक्षणकर्ता के सीने में दर्द होने लगा। प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दी गयी, दवाइयों से आराम न होने पर पुनरीक्षणकर्ता के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और फेफड़े में पानी आ गया और पुनरीक्षणकर्ता जिला अस्पताल सुलतानपुर में दिखाया, जहाँ पर डाक्टर द्वारा बताया गया कि आपकी हालत बहुत गम्भीर है, तब पुनरीक्षणकर्ता राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुआ, डेढ़ माह तक भर्ती रहा और इलाज चला। प्रतिपक्षी संख्या 2 की घोर लापरवाही और गलत दवाइयों से निगरानीकर्ता की दाहिने आंख की रोशनी चली गयी और पुनरीक्षणकर्ता एक आंख से विहीन हो गया और पुनरीक्षणकर्ता का जीवन बर्बाद हो गया। पुनरीक्षणकर्ता घटना की सूचना थाना कोतवाली नगर में दिया, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, तब निगरानीकर्ता ने घटना की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब पुनरीक्षणकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा.ना.सु.सं. का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। अवर न्यायालय द्वारा थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया। अवर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के बावत प्रारम्भिक जाँच करायी गयी, जिसमें आंख की रोशनी समाप्त होने की रिपोर्ट आयी है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का सही ढंग से अनुशीलन न करते हुये आदेश पारित करने में महान भूल एवं गलती की है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश हर प्रकार से विधि विरुद्ध एवं विधि के नियमों के विपरीत है तथा निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता का यह प्रथम पुनरीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके अलावा अन्य कोई भी अपील न तो श्रीमान जी के न्यायालय, और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो कभी दिया गया है, न विचाराधीन है, न ही निर्णीत हुआ है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 08.5.2025 निरस्त करते हुये अवर न्यायालय की पत्रावली तलब करने की याचना की गयी है।

6. प्रत्यर्थी संख्या–1 राज्य की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुये कहा है कि अवर न्यायालय द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2025 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

7. पुनरीक्षण से सम्बंधित परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2020 को करीब 11.00 बजे वादी बुखार के कारण प्रतिपक्षी के नर्सिंग होम गया, जिनके द्वारा ज्वर से राहत का आश्वादन देते हुए कतिपय दवा दी गयी। उक्त विपक्षी द्वारा लिखी गयी, उससे उसका बुखार ठीक नहीं हुआ और उनके द्वारा लिखी गयी दवाइयों को खाने से उसके सीने में दर्द होने लगा व शरीर पर संक्रमण भी फैल गया व फेफड़े में पानी आ गया। तदुपरान्त वह जिला अस्पताल सुलतानपुर में इलाज हेतु गया जिनके द्वारा उसको गंभीर स्थिति के रूप में अवगत कराया गया, जिसके पश्चात् वह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुआ और डेढ़ महीने तक उसका इलाज चला। प्रतिपक्षी डा. वी.के. शुक्ला चिकित्सक की घोर लापरवाही एवं गलत दवाइयों के कारण उसके दाहिनी आंख की रोशनी भी चली गयी व वह एक आंख से विहीन हो गया। उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रतिपक्षी चिकित्सक डा. वी.के. शुक्ला के विरुद्ध

धारा 156(3) द.प्र.सं. से प्रावधान के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने व पारिणामिक विवेचना के तथ्य की याचना प्रस्तुत की गयी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव –प्रति– उ.प्र. राज्य (2015 SCC 6 287) में प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच करते हुए आख्या आहूत की गयी। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा जैकब मैथ्यू –प्रति– पंजाब राज्य (AIR 2005 SC 3180) में घोषित विधि के प्रकाश में मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर से गठित किये किये गये मेडिकल बोर्ड की आख्या आहूत की गयी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर द्वारा प्रार्थी–पुनरीक्षणकर्ता को सुनकर तथा अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी चिकित्सीय परीक्षण कमेटी की आख्या का परिशीलन कर आदेश दिनांकित 09.05.2025 पारित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुलतानपुर द्वारा प्रथम दृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं होना पाये जाने के आधार पर प्रार्थी श्रीप्रकाश पाण्डेय का प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं. निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी–पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 09.05.2025 से क्षुब्ध होकर प्रश्नगत पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

8. पुनरीक्षण अधिकारिता के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Kaptan Singh Vs. State of M.P., AIR 1997 SC 2485** में अवधारित किया है कि–

Revisional power can be exercised only when "there exists a manifest illegality in the order or there is a grave miscarriage of justice.

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Amit Kapoor Vs. Ramesh Chander, (2012) 9 SCC 460,** में अवधारित किया है कि–

The revisional jurisdiction of the Court u/s 397 Cr.P.C. can be exercised so as to examine the correctness, legality or propriety of an order passed by the trial court or the inferior court, as the case may be.

9. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण में अवर न्यायालय के आलोच्य आदेश को आक्षेपित करते हुये यह आधार अभिकथित किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखिय साक्ष्य का सही ढंग से अनुशीलन न करते हुये आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध एवं नियमों के विपरीत है। अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता श्रीप्रकाश द्वारा कथित ज्वर से पीडित होने पर दिनांक 26.03.2020 को यशलोक नर्सिंग होम डिहवा सुलतानपुर में दिखाया गया था। जहाँ डा. वी.के. शुक्ला द्वारा उसका परीक्षण कर कतिपय आषधियाँ लेने की सलाह दी दी गयी थी। डा. वी.के. शुक्ला द्वारा परामर्शित आषधियाँ लेने पर लाभ नहीं होने पर वह उपचार हेतु राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हुआ, जहाँ वह चिकित्सा व उपचार हेतु डेढ़ माह तक भर्ती रहा। पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि चिकित्सा में लापरवाही और गलत औषधियों के कारण उसकी दाहिनी आँख की रोशनी चली गयी और वह एक आँख से दृष्टि विहीन हो गया।

10. पुनरीक्षणकर्ता का प्रकरण चिकित्सीय लापरवाही से सम्बन्धित है। चिकित्सीय लापरवाही के प्रकरणों में अभियोग/प्राथमिकी पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव –प्रति– उ.प्र. राज्य (2015 SCC 6 287) में अवधारित किया है कि–

As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted

will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under:

(a) .....

(b) .....

(c) Medical negligence cases

(d) .....

(e) .....

The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने जैकब मैथ्यू –प्रति– पंजाब राज्य (AIR 2005 SC 3180) में घोषित किया है कि–

A private complaint may not be entertained unless the complainant has produced prima facie evidence before the Court in the form of a credible opinion given by another competent doctor to support the charge of rashness or negligence on the part of the accused doctor. The investigating officer should, before proceeding against the doctor accused of rash or negligent act or omission, obtain an independent and competent medical opinion preferably from a doctor in government service qualified in that branch of medical practice who can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion applying Bolam's test to the facts collected in the investigation.

11. अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता श्रीप्रकाश द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के न्यायालय प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं. प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं प्रियंका श्रीवास्तव एवं जैकब मैथ्यू में प्रतिपादित विधि के आलोक में चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड प्रारम्भिक जाँच करते हुए आख्या आहूत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर द्वार तीन चिकित्सकों, फिजीशियन डॉ. लालजी, उपमुख्य चिकित्साधिकारी सुलतानपुर की अध्यक्षता में नेत्र सर्जन डॉ. सुनील पटेल, जिला चिकित्सालय सुलतानपुर एवं सर्जन डॉ. वैभव शर्मा, जिला चिकित्सालय सुलतानपुर की समिति गठित की गयी। समिति द्वारा पुनरीक्षणकर्ता श्रीप्रकाश के संदर्भित प्रकरण में विस्तृत जाँच कर इस निष्कर्ष के साथ आख्या प्रस्तुत की गयी कि आवेदक श्री प्रकाश पाण्डेय सुत स्व० जगतनारायन पाण्डेय निवासी म.नं.–1515 बघराज थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर के द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में इनके द्वारा प्रस्तुत की गयी ओपीडी पर्ची में दर्ज की गयी औषधियों के अवलोकन के पश्चात श्री श्रीप्रकाश पाण्डेय के द्वारा दिये गये बयान के आधार पर जिला अस्पताल सुलतानपुर में श्री श्रीप्रकाश पाण्डेय के कराये गये इलाज से सम्बन्धित चिकित्सीय अभिलेखों आदि के परीक्षणोपरान्त जांच कमेटी इस निर्णय पर पहुंची है कि सम्बन्धित की दाँयी आँख डॉ. बी.के. शुक्ला के द्वारा दिये गये औषधियों से खराब नहीं हुई है, क्योंकि डॉ. बी.के. शुक्ला के द्वारा लिखी गयी ओपीडी में (जैसा कि शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत में कहा जा रहा है) दर्ज की गयी औषधियों एक साधारणतया एन्टीबायटिक औषधियों की श्रेणी में है। सम्बन्धित की आँख शुगर लेबल अधिक (मधुमेह) होने कारण उसकी जटिलताओं से रेटिना में रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है.

जसे अंधापन हो सकता है। निष्कर्ष :– शिकायतकर्ता/याची श्री श्रीप्रकाश पाण्डेय को डॉ. बी.के. शुक्ला द्वारा दिये औषधियों से दॉयी आँख खराब हो जाने की बात चिकित्सीय परीक्षण में सत्य नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि दी गयी औषधियों एक साधारणतः एन्टीबायटिक औषधियों है। औषधियों का दुष्प्रभाव कभी भी किसी भी व्यक्ति के एक आँख को प्रभावित नहीं कर सकती है। श्री श्रीप्रकाश के आँख के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि सम्बन्धित की आँख गहरी चोट लगने के कारण खराब होना पाया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुलतानपुर द्वारा दिनांक 09.05.2025 को यह अवधारित करते हुए, कि पुनरीक्षणकर्ता श्रीप्रकाश की दाँयी आँख डॉ. वी.के. शुक्ला द्वारा दी गयी औषधियों से खराब नहीं हुयी है। बुखार से सम्बन्धित चिकित्सीय जाँच अथवा उपचार में चिकित्सक द्वारा ऐसा कोई कार्य या लोप कारित नहीं किया गया, जिससे श्रीप्रकाश की दाँयी आँख की खराबी के सापेक्ष प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता हो, श्रीप्रकाश का प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं. निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 09.05.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर न्यायलय द्वारा प्रार्थी को सुनकर व उसके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों तथा चिकित्सक समिति की जाँच आख्या के सम्यक परिशीलन के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः न्यायालय का अभिमत है कि अवर न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

12. अतः तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के प्रकाश में अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 09.05.2025 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पुनरीक्षण को स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अतः पुनरीक्षण तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–155/2025, श्रीप्रकाश–प्रति–उत्तर प्रदेश राज्य आदि, निरस्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या–257/2024, श्रीप्रकाश – प्रति– डॉ. वी.के. शुक्ला में पारित आदेश दिनांकित 09.05.2025 की पुष्टि की जाती है।

sd/–

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
दिनांक–06.05.2026 न्यायालय संख्या–03, जनपद सुलतानपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/–

(राम प्रताप सिंह राणा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
दिनांक–06.05.2026 न्यायालय संख्या–03, जनपद सुलतानपुर।
हरि शरण साहू (आशुलिपिक) जे.ओ. कोड–यू.पी. 6279